अपील डिक्री / टी.ए. / 4446 / 2006 / सीकर
भूरा व अन्य बनाम भैरू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री अजयपाल डिढारिया, अभि0 रेस्पो0

दिनांक : 11.8.2021

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील संख्या 103 / 2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3–7–2006 के विरूद्ध धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांटान की माता मु0सोनी पुत्री सादिया ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी / रेस्पो0 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम गनोडा तहसील दांतारामगढ स्थित आराजी खसरा नंबर 260 लगायत 264, 457 कुल रकबा 5.14 हैक्टर एवं खसरा नंबर 148, 456 कुल रकबा 4.56 हेक्टर बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त वर्णित भूमि वादी की पैतृक आराजी है। वादिया के पिता आराजी खसरा नंबर 148 एवं 456 के सम्पूर्ण रकबे के खातेदार थे एवं खसरा नंबर 260 से 264 एवं 457 में 1 / 4 हिस्सा में खातेदार थे एवं बाकी 3 / 4 हिस्से के खातेदार अन्य संयुक्त खातेदार हैं जो दावे में तरतीबी प्रतिवादीगण हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परसाराम ने वादी के साथ चालाकी करते हुए वादिया के पिता का दत्तक पुत्र बताते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण स्वयं के नाम स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। पटवारी के साथ परसाराम लगान लेता था इस कारण वादिया को बिना जानकारी के उसने अपने नाम आराजी को दर्ज करवा लिया। वादिया को हाल में ऋण की आवश्यकता पडने पर पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने गयी तो पटवारी ने वादिया को जानकारी दी कि विवादित आराजी का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज सादिया का दत्तक पुत्र बताते हुए दर्ज करवा लिया। इस कारण वादिया को दावा प्रस्तुत करना पड रहा है। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों को अस्वीकार किया एवं कथन किया कि सादिया का देहान्त बहुत पहले ही हो चुका है। वादिया, सादिया की पुत्री अवश्य है किन्तु उसको विवादित आराजी पर कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादिया का विवादित आराजी पर कोई अधिकार एवं स्वत्व नहीं है। प्रतिवादी विवादित आराजी पर काबिज है एवं वादिया के धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी पर सारे अधिकार समाप्त हो गये हैं। प्रतिवादी राजस्व रेकार्ड में 30–35 सालों से खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है एवं वादिया का दावा निरस्त करने की प्रार्थना की। उक्त अभिकथनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने 8 तनकियात कायम की। संशोधित दावा एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के उपरांत विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–7–2004 द्वारा वादी अपीलांट का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी / रेस्पो0 ने प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 3–7–2006 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। जिससे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का बहस में आगे तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्लीडिंग से परे जाकर अपना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पेरा 7 में तनकी संख्या 1 का निर्णय करते हुए यह माना है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 260 से 264 एवं 457 में वादिया के पिता 1/4 हिस्से के खातेदार थे तथा खसरा नंबर 148 एवं 456 के सम्पूर्ण रकबा के खातेदार थे। इसके बावजूद भी तनकी संख्या 1 अपीलांट के विरूद्ध निर्णित की है। अपीलांट ने साक्ष्य से यह साबित कर दिया कि सादिया की वारिस अपीलांट की माता मु0 सोनी थी, जिसका देहान्त वाद प्रस्तुत करने के बाद हो गया तथा विवादित आराजी अपीलांट पर धारित हो चुकी है। रेस्पो0, सादिया को गोदपुत्र साबित नहीं कर पाया। राजस्व रेकार्ड में परसाराम का नाम किस आधार पर जुडा, परसाराम साबित नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में परसाराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाने की अधिकारी वादिया थी। उनका यह भी तर्क है कि नामान्तरकरण संख्या 10 जिस आधार पर रेस्पो0 के नाम स्वीकृत किया गया, उससे रेस्पो0 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते तथा ऐसे नामान्तरकरण से राजस्व रेकार्ड को अहमियत नहीं दी जा सकती। नामान्तरकरण संख्या 10 विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जबकि वादिया स्वयं सदा की पुत्री थी, जिसका नामान्तरकरण में जिक्र नहीं किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने परसाराम को सादिया का उपकृषक होना भी माना है, जबकि उपकृषक एवं गोद पुत्र एक साथ नहीं हो सकते हैं। उनका यह भी कथन है कि परसाराम ने अपने जवाब दावा में अपने आपको वादिया के पिता का उपकृषक होना नहीं कहा एवं ना ही इस आशय की कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी कायम हुई एवं ना ही प्रतिवादी ने अपने आपको गोदपुत्र ही बताया है। तनकी सं.1 पर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय परवर्स है। इस तनकी को निर्णित करते समय राजस्व अपील प्राधिकारी ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को ध्यान में नहीं रखा। इसी प्रकार तनकी सं. 2 का निर्णय राजस्व रेकार्ड के विपरीत है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आवश्यक तत्वों को देखे बिना ही तनकी सं. 2 अपीलांट के विरूद्ध निर्णित कर दी। साथ ही जब प्रतिवादी सं.1से 4 विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से बैठे हैं तथा अपीलांट ने अतिक्रमण साबित कर दिया तो अपीलांट धारा 183 के तहत हर्जाना प्राप्त करने की अधिकारी हैं। तनकी सं.3 का निर्णय अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अस्पष्ट दिया है। तनकी सं.5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की है जबकि इस तनकी का निर्णय एवं अगली दो तनकियों का निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी ने नहीं दिया है। उनका निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के अनुसार नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सही विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 3–7–2006 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय एवं दिनांक 7–4–2004 को बहाल रखा जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने एआईआर 2003 सुप्रीम कोर्ट 160 का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी 1963 से ही रेस्पो0 को प्राप्त हो गई थी, तब से खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व जिनके नाम खातेदारी कथित की जा रही है वह मर चुका था और वादिनी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सोनी 60वर्ष पहले ही विवाहित होकर ससुराल चली गई थी। वादग्रस्त आराजी में वादिनी एवं उसके वारिसान का हक हकूक नहीं था। वादिनी ने अपने पूर्वज के नाम से कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है, जो यह साबित करे कि सादिया काबिज काश्त था। कब्जा विधि के अनुसरण में ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री कर दिया, जो पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय था एवं जिसे निरस्त कर रेस्पो0 की अपील को स्वीकार करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2004 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के बाबत जो तनकियात कायम की गई उसमें दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास होने के कारण वाद का निस्तारण गलत आधारों पर किया गया है और अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसके विपरीत जाकर अपना अभिमत अंकित किया है, वह भी विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत तथा विरोधाभासी होने के कारण समर्थन योग्य नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर का निर्णय व डिक्री दिनांक 3–7–2006 तथा उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ का निर्णय व डिक्री दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24–7–2004 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनकर तथ्यों व साक्ष्य की स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से व्याख्या व विवेचना करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य** **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	